FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 15/07/2022 19:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	167
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	218
6	IPC 1860	409
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/07/2022 **Time (समय):** 18:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 15/07/2022 18:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 0.50 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): थाना राज्य चौकसी ब्युरो,सै0-17 फरी0

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): DSP KAILASH CHAND

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**SVB FARIDABAD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**SVB FARIDABAD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सतबीर सिंह ठेकेदार			1. फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	शेरसिंह तत्कालीन SDO			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	प्रेमराज कार्यकारी अभियंता			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
4	पंकज कुमार लिपिक			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
5	प्रदीप लिपिक			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
6	तसलीम लिपिक			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में

थाना प्रबन्धक अफसर,

राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं0 06 दिनांक 10.05.2019 फरीदाबाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/22/2019-2वी-II दिनांक 06.05.2019 की अनुपालना मे महानिदेषक, राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0), पंचकुला कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 7765/I-2/SVB(H) Dated 10.05.2019 के अनुसार प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय एवं निकाय विभाग कार्यालय के U.O. No. 21/58/2018-5C1 Dated 12.12.2018 के अनुसार प्राप्त शिकायतो के आधार पर दर्ज होकर इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप नं0 3 के भाग 6 में आरोप था कि:-

भाग 6:- वार्ड न0 11, 14, 15 व 16 मे रोड पर इंटरलोकिंग टाईलो का कार्य सतबीर कान्ट्रेक्टर को ठेका दिया गया था। जिसकी टैण्डर प्रक्रिया नियमानुसार नही की गई और फर्म द्वारा कार्य भी नही किया गया। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ठेकेदार की अग्रीम राशी जब्त करनी चाहिए थी, वर्क आर्ड रिजैक्ट कराना चाहिए था लेकिन विभाग ने ऐसा नही किया।

पडताल के दौरान पाया गया कि 80mm thick Interlocking paver block paved M-35 grade in 5K block near 5K-57B, Ward No. 14, Faridabad मे कार्य कराना पाया गया है जिसकी Estimated Cost – 5,51,000/-, जिसको दिनांक 28.10.2018 को रिवाईज कर 98,69,406/- रुपये किया गया, जिसको पुनः रिवाईज दिनांक 30.10.2018 को 1,92,75,214/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाकर भुगतान किया जाना पाया गया है। जो मूल प्रस्तावित एस्टीमेट एवं रिवाईज्ड से 10 प्रतिषत की लिमिट से अधिक है जो च्ॅक् ब्वकम के प्रावधान न0 9.3.10 का उल्लघंन है। इस प्रकार नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा सतबीर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना पाया गया है और विशयांकित कार्यो से सम्बन्धित नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मेजरमैन्ट बुक उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार लगभग 5,51,000/- रुपये के टैण्डर को अनियिमत तरीके से बढाकर 1,92,75,214/- रुपये की जानी पाई गई है तथा हरियाणा सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है।

पडताल के दौरान पाया गया कि Providing and laying 80mm thick inter locking tiles M-35 grade in fruit garden ward no. 14, Faridabad मे कार्य कराना पाया गया है जिसकी Estimated Cost – 16,34,670/-, जिसको दिनांक 28.10.2018 को रिवाईज कर 98,80,680/- रुपये किया गया जिसको पुनः रिवाईज दिनांक 30.10.2018 को 1,96,38,681/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाकर भुगतान किया जाना पाया गया है। जो मूल प्रस्तावित एस्टीमेट एवं रिवाईज्ड से 10 प्रतिषत की लिमिट से अधिक है जो PWD Code के प्रावधान न0 9.3.10 का उल्लघंन है। इस प्रकार नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा सतबीर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना पाया गया है और विशयांकित कार्यो से सम्बन्धित नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मेजरमैन्ट बुक उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार लगभग 16,34,670/- रुपये के टैण्डर को अनियिमत तरीके से बढाकर 1,96,38,681/-. रुपये की जानी पाई गई है तथा हरियाणा सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है।

पडताल के दौरान पाया गया कि Providing and laying 80mm thick inter locking tiles M-35 grade in 5E-BP F Block, in ward no. 14, Faridabad मे कार्य कराना पाया गया है जिसकी Estimated Cost – 23,68,771/-, जिसको दिनांक नामालूम को रिवाईज कर 98,48,931/- रुपये किया गया, जिसको पुनः रिवाईज दिनांक 30.10.2018 को 1,94,41,654/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाकर भुगतान किया जाना पाया गया है। जो मूल प्रस्तावित एस्टीमेट एवं रिवाईज्ड से 10 प्रतिषत की लिमिट से अधिक है जो PWD Code के प्रावधान न0 9.3.10 का उल्लघंन है। इस प्रकार नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा सतबीर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना पाया गया है और विशयांकित कार्यो से सम्बन्धित नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मेजरमैन्ट बुक उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार लगभग 23,68,771/- रुपये के टैण्डर को अनियिमत तरीके से बढाकर 1,94,41,654/-. रुपये की जानी पाई गई है तथा हरियाणा सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है।

इसके अतिरिक्त एक विभागीय जांच रिपोर्ट तत्कालीन आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद द्वारा पत्र क्रमांक MCF/E-2/2021/112 Dated 19.03.2021 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, अर्बन लोकल बाडीज विभाग, हरियाणा सरकार को भेजी गई। जिसमे लिखा गया कि उपरोक्त वार्ड न0 14 के विशयांकित कार्यो का रिकार्ड नही होने पर सही निर्धारण नही किया जा सकता और सरकार के खजाने पर गबन को नकारा नही जा सकता। इसके अतिरिक्त नगर निगम के अन्य कर्मचारियो/अधिकारियो की इस गबन मे संलिप्तता से इंकार नही किया जा सकता। अतः Satbira Singh contractor his firm षेर सिंह तत्कालीन एस0डी0ओ0, प्रेमराज कार्यकारी अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउन्ट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद के विरुद्ध धारा 166, 167, 218, 120B, 201, 409 IPC and

Section 13 (1)(c) (d) r/w 13(2) PC Act, 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था और इसके अलावा नगर निगम फरीदाबाद के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी व किसी प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/22/2019-2टसस दिनांक 21.03.2022 व महानिदेषक राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृश्ठ क्रमांक 4669/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0) दिनांक 22.03.2022 व 4674/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0) दिनांक 23.03.2022 के अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोप नं0 3 के भाग 6 में आरोपियान के विरूद्ध 166, 167, 218, 120B, 201, 409 IPC and Section 13 (1)(c) (d) r/w 13(2) PC Act, 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने व तफतीष के दौरान किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आये तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिये जाने बारे आदेष प्राप्त हुये है। जिसमें से भाग 6 के अनुसार जो उपरोक्त Satbira Singh contractor his firm शेर सिंह तत्कालीन एस0डी0ओ0, प्रेमराज कार्यकारी अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउन्ट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत किया जाऐ। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त एच0सी0 चरणजीत नं0 387/मेवात के अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पेषल रिपोर्ट डयूटि मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जाऐ। मुकदमा हजा की आगामी तफतीष पुलिस अधीक्षक राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेषानुसार निरीक्षक संतराम, रा0चै0 ब्यूरो मण्डल फरीदाबाद के पास भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है।SD-कैलाश चन्द (कैलाष चन्द ह0पु0से0),उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। अज थाना हसब आमद तहरीर मु0न0-2 दिनांक-15.07.2022 धारा-166, 167, 218, 120B, 201, 409 IPC and Section 13 (1)(c) (d) r/w 13(2) PC Act, 1988 PS SVB FBD मे दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की प्रतिया CCTNS कम्पयुटर द्वारा तैयार की जाकर मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट HC चरणजीत 387/MWT के ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को भिजवाई जावे । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले IO के की जाए। नोट यह मुकदमा निरक्षक विजेन्द्र सिंह की हाजरी मे दर्ज रजि0 किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sant Ram **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1030FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.